



कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
बिलासपुर (छ.ग.)

वेबसाइट- bilasagirlscollege.ac.in

email- bilasagirlscollege_bilaspur@rediffmail.com

Ph No./Fax- 07752-224249

क्रमांक 1340/अतिथि व्या./स्था./2022
प्रति

बिलासपुर, दिनांक 14/02/2022

✓ Chanchal Agrawal
At- Bhatli, Po- Bhatli
Dist- Bargarh pin- 76803000
Mo.No. 6372923029

विषय- अर्थशास्त्र

विषय :- अतिथि व्याख्याता (शासन द्वारा स्वीकृत प्राध्यापक के रिक्त पद विरुद्ध) के रूप में अध्यापन की अनुमति।
संदर्भ :- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, का पत्र क्रमांक 724/126/आउशि/राज.स्था./2021 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 18-10-2021।

--□--

उपर्युक्त विषयांतर्गत आपको नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में महाविद्यालय में सत्र 2021-22 (अप्रैल 2022 तक) के लिए अतिथि व्याख्याता (शासन द्वारा स्वीकृत प्राध्यापक के रिक्त पद विरुद्ध) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है :-

1. अध्यापन हेतु 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान हेतु रूपये 200/- का मानदेय प्रदान किया जावेगा। एक दिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान/पीरियड दिये जा सकते हैं एवं अधिकतम प्रतिदिन रूपये 800/- एवं अधिकतम प्रतिमाह रूपये 20800/- मानदेय के रूप में प्रदान किया जा सकता है।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में अध्यापन कार्य समाप्त होने तक/आवश्यकतानुसार रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रभारी प्राध्यापक के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन अध्यापन करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक महाविद्यालयों/संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के अध्यापन की अनुमति निरस्त की जा सकती है।

आप छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आदेश जारी होने के पांच दिवस के भीतर अध्यापन कार्य प्रारंभ करेंगे। इस हेतु मूल प्रमाण पत्रों सहित महाविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देंगे। अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

प्राचार्य

शासकीय बिलासा कन्या स्नातकी. महावि.
बिलासपुर (छ.ग.)
बिलासपुर, दिनांक /2022

पू.क्रमांक 1341/अतिथि व्या./स्था./2022
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लाक सी 3, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
2. विभागाध्यक्ष/प्रभारी प्राध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संयोजक चयन समिति, शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर को सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन लेखा शाखा को सूचनार्थ।
5. कार्यालयीन प्रति- स्थापना शाखा।

प्राचार्य



कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
विलासपुर (छ.ग.)

website- <http://bilasagirlscollege.ac.in>

email- bilasagirlscollege_bilaspur@rediffmail.com

Ph No./Fax- 07752-224249

क्रमांक 682/अतिथि व्या./स्था./2022
प्रति

विलासपुर, दिनांक 05/08/2022

Chanchal Agrawal
At- Bhatli, Po- Bhatli
Dist- Bargarh, pin- 76803000
Mo.No. -6372923029

विषय- अर्थशास्त्र

विषय :- अतिथि व्याख्याता (शासन द्वारा स्वीकृत प्राध्यापक के रिक्त पद विरुद्ध) के रूप में अध्यापन की अनुमति।
संदर्भ :- कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, का पत्र क्रमांक 535/आउशि/राज.स्था./2022 अटल नगर,
दिनांक 29.08.2022।

--□--

उपर्युक्त विषयांतर्गत आपको नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में महाविद्यालय में सत्र 2022-23 के लिए अतिथि व्याख्याता (शासन द्वारा स्वीकृत प्राध्यापक के रिक्त पद विरुद्ध) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है :-

1. अध्यापन हेतु 40/45 मिनट के प्रति व्याख्यान हेतु रूपये 300/- का मानदेय प्रदान किया जावेगा। एक दिवस में अधिकतम 04 व्याख्यान/पीरियड दिये जा सकते हैं एवं अधिकतम प्रतिदिन रूपये 1200/- एवं अधिकतम प्रतिमाह रूपये 31200/- (इक्कीस हजार दौ सौ मात्र) मानदेय के रूप में प्रदान किया जा सकता है।
 2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में अध्यापन कार्य समाप्त होने तक/आवश्यकतानुसार रखा जायेगा।
 3. आप किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
 4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रभारी प्राध्यापक के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाइन/ऑफलाइन अध्यापन करना होगा।
 5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचारार्थीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक महाविद्यालयों/संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
 6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
 7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के अध्यापन की अनुमति निरस्त की जा सकती है।
 8. यह आदेश आपको माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, विलासपुर द्वारा दिये गये आदेश के अधीन जारी किया जाता है।
 9. यह आमंत्रण छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेशों के अधीन बंधनकारी होगा।
 10. महाविद्यालय में इस विषय में रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति/पदस्थापना होने पर यह आमंत्रण तत्काल निरस्त होगा।
- आप छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार आदेश जारी होने के पांच दिवस के भीतर अध्यापन कार्य प्रारंभ करेंगे। इस हेतु मूल प्रमाण पत्रों सहित महाविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देंगे। अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

(डॉ. ज्योति रानी सिंह)

प्राचार्य
शास. विलासा कन्या स्नातकोत्तर महावि.
विलासपुर (छ.ग.)
विलासपुर, दिनांक /2022

पृ. क्रमांक /अतिथि व्या./स्था./2022
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लाक सी- 3, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
2. विभागाध्यक्ष/प्रभारी प्राध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संयोजक चयन समिति, शासकीय विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय विलासपुर को सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन लेखा शाखा को सूचनार्थ।
5. कार्यालयीन प्रति- स्थापना शाखा।

PRINCIPAL
Govt. Bilasa Girls P. G. College
BILASPUH (G. G.)